

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राज0)

क्रमांक: 50

दिनांक: 27.5.25

कार्यालय आदेश (प्रोटोकॉल)

भरतपुर न्यायक्षेत्र में प्रोटोकॉल कार्य को सुगमता व सुविधापूर्वक संचालन हेतु श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय भरतपुर के मौखिक निर्देशानुसार **माह जून 2025** में पडने वाले राजकीय अवकाश में प्रोटोकॉल का कार्य करने के लिए निम्न अधिकारी को अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं	नाम अधिकारी एवं पदनाम	दिनांक	मोबाइल नं०
1.	श्रीमती नीरु सोनी, एसीजेएम-4 भरतपुर	01.06.2025 रविवार अवकाश	9982656304

नोट-

- उक्त अधिकारी राज्य अथवा राज्य के बाहर से भरतपुर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के भरतपुर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/ 2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी करेंगे।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
- किसी राजकीय अवकाश के दिवस प्रोटोकॉल कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी यदि आवश्यक कार्यवश ड्यूटी कार्य करने में असमर्थ है तो उस दिन के लिए, वह भरतपुर न्यायक्षेत्र में पदस्थापित अन्य न्यायिक अधिकारी से वार्तालाप करके सहमति अपने स्तर पर प्राप्त करें तथा इस कार्यालय को सूचित करें। इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही, नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- किसी भी अवकाश के **अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात** के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की प्रोटोकॉल की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में प्रोटोकॉल संबंधी कार्यों हेतु अधिकृत होगा।

(चेतन कुमार गोयल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भरतपुर

दिनांक: 27.5.25

क्रमांक: 1245-1250

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिए मेल)-

- ✓ श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर
- समस्त न्यायिक/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर न्याय क्षेत्र
- न्यायालय प्रबंधक/प्रोटोकॉल कम प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुन्सरिम जिला न्यायालय भरतपुर
- आदेश/संबंधित पत्रावली

Chet
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भरतपुर